



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

आबकारी तथा कराधान विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 09 जनवरी, 2018

**संख्या 03/एस०टी०-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि का अधित्यक्त करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पच्चीस रुपये की राशि से अधिक है:

परन्तु जहां उक्त विवरणी में राज्य कर के स्थान पर भुगतानयोग्य कुल राशि शून्य है, तो किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, ऐसी सीमा तक, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की राशि से अधिक है, अधित्यक्त समझी जाएगी।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 9th January, 2018

**No. 03/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of state tax in the said return is nil, the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the said return, shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.